न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-2, राजगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी सागर माथुर, आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अपील फौजदारी संख्या 07/2018
CNR No.- RJCH060000992018

सुरेश कुमार पुत्र प्रहलाद मेघवाल निवासी वार्ड नं0 28 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू

-अपीलार्थी

वि रु द्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, राजगढ

- प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.01.2018
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ द्वारा
मूल आपराधिक प्रकरण संख्या 340/2010
सरकार बनाम सुरेश आदि में पारित।

उपस्थिति-

1- श्री चरण सिंह, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

2- श्री तेजपाल पूनियां, अपर लोक अभियोजक वास्ते प्रत्यर्थी

- निर्णय - दिनांक- 23.07.2026

1- अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ द्वारा पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 11.01.2018 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। दण्डादेश निम्नानुसार पारित किया गया है-

अपीलांट को धारा 19/54 (क) राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध के परिणामस्वरूप तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व अदम अदायगी अर्थदण्ड 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किया है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अपील दिनांक 09.02.2018 को न्याायलय में पेश की गयी है।

2- संक्षेप में अपील से संबंधित मूल प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.09 के वक्त 09.30 पीएम पर श्री अरविन्द कुमार एसआई मय जाब्ता वास्ते गश्त रवाना हुए। दौराने गश्त सुरतपुरा मदाउ जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी की। समय 10.10 पीएम पर गांव सुरतपुरा की ओर से एक मारूति कार तेज गति से आई जिसे रूकने का इशारा किया तो चालक कार को मदाउ की तरफ भगा कर ले गया जिसे पीछा कर रूकवाया गया तो चालक सुरेश मेघवाल निवासी वार्ड नं. 28 राजगढ कार से नीचे उतरा और अंधेरा का फायदा उठाकर खेतों में भाग गया, मारूति कार को चैक किया गया तो मारूति 800 थी जिसके पीछे आरजे 13 सी 4774 की नम्बर प्लेट लगी हुई थी इस कार की पिछली सीट खोली हुई थी, जहां शराब की पेटियां रखी हुई थी, पेटियों में शराब को चैक किया गया तो 3 पेटी में कुल 140 पव्वा लाजवाब सौंफी मसालेदार देशी शराब मिली। चार पेटी में कुल 46 बोतल फिलिंग फोन बीयर मिली, 10 पेटी में कुल 115 बोतल रसीला सन्तरा मसालेदार देशी शराब मिली। शख्स सुरेश मेघवाल द्वारा इतनी मात्रा में हरियाणा व चण्डीगढ़ में बिक्री योग्य शराब रखना व परिवहन करना अपराध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने पर उक्त अवैध शराब को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया जा कर सील मोहर किया गया तथा मारूति 800 कार नंबर आरजे 13 सी 4774 जिसमें इंजन नंबर एफ बीआईएन 1540887 व चैचिस नंबर 5 बी 308 आईआर 2098694 को बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया तथा मुकदमा नं0 20356 धारा 19/54 में दर्ज कर तफतीश शुरू हुई। दौराने तफतीश मुलजिम सुरेश की निशानदेही पर नक्शा मौका, हालात मौका घटनास्थल शराब लाने बाबत तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया। धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस वाहन मालिक सुरेश कुमार को दिया जाकर जवाब शामिल पत्रावली किया ..... आदि आदि।

3- इस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 356/2009 पुलिस थाना राजगढ अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे दर्ज कर तफ्तीश शुरू हुई, बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त सुरेश कुमार के विरूद्ध धारा 19/54(क), 19/54 (ख) राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान नक्शा मौका, हालात मौका तैयार किये गये, नमूना वजह सबूत को मालखाना में जमा करवाया गया, गवाहान के बयान लिये, नमूना

जांच हेतु भिजवाया गया, अभियुक्त को गिरफतार किया, नियमित अनुसन्धान के बाद अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पेश किया गया।

4- अपीलार्थी/अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 19/54(क), 19/54 (ख) राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5- आरोप सिद्धि हेतु दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी०डब्लू० 1 प्रताप सिंह, पी०डब्लू० 2 सतार खां, पी०डब्लू० 3 सत्यवान, पी०डब्लू० 4 बृजमोहन, पी० डब्लू० 5 रामकिशन, पी० डब्लू० 6 दलवीर सिंह, पी0ड0 7 सतपाल, पी0ड0 8 रमेश कुमार, पी0ड0 9 परसाराम, पी0ड0 10 भागलाराम, पी0ड0 11 छोटूराम, पी0ड0 12 अरविंद कुमार को परीक्षित करवाया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 21 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

6- अपीलार्थी/अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किये गये। जिनमें अभियुक्त ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताया गया व साक्ष्य सफाई पेश नही करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

7- विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष की बहस सुनकर आक्षेपित निर्णय व दण्डादेश पारित करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त सुरेश कुमार को अंतर्गत धारा 19/54 (क) राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध में सजा के बिंदू पर सुनने के पश्चात धारा 19/54 (क) राजस्थान आबकारी अधिनियम में तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व अदम अदायगी अर्थदण्ड 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश पारित किये जाने पर उक्त निर्णय व दंडादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/अभियुक्त ने यह अपील प्रस्तुत की है।

8- अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ज्ञापन के संक्षिप्त तथ्यानुसार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित अधिकांश गवाहान सरकारी गवाहान है, जिन्होनें अपने कथनों में विरोधाभासी साक्ष्य दी है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये स्वतंत्र गवाहान न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा उन्होनें उनके सामने कोई शराब अपीलांट के कब्जे से बरामद नहीं करने का तथा उनके हस्ताक्षर पुलिस थाना में करवाये जाने का कथन किया है व शराब बरामदगीस्थल अभियुक्त/अपीलांट के कब्जे का ही हो, इस बाबत भी कोई मौखिक

अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, ना ही अभियुक्त की मौका पर से गिरफतारी है तथा बरामदगी कार्यवाही में काम में ली गयी नमूना सील का अलग से फर्द नमूना सील तैयार कर मालखाना में जमा नहीं करवाया गया है तथा बरामदशुदा गाडी अपीलांट/अभियुक्त के स्वामित्व में होना भी अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं हो पाया है तथा पुलिस अधिकारी ने कोई लोगबुक भी अपनी गश्त करने के स्थानों के बारे में पेश नहीं की है। उपरोक्त समस्त तथ्यों की ओर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया गया है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलार्थी को दोषमुक्त करने व विकल्प में परीविक्षा दिये जाने का निवेदन किया है।

9- अपील के संबंध में बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से बहस में भी अपील ज्ञापन के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध पारित विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा इसका सख्त विरोध किया गया और विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होना बताकर निर्णय व दण्डादेश की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10- उभयपक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली व उसमें आई साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रकरण वर्णित अवधार्य बिन्दू यह है कि-

"क्या दिनांक 19.10.2009 को वक्त 10.30 पीएम पर जरिये मुखवीर सूचना मिलने पर ग्राम सुरतपुरा में मदाउ जाने वाले रास्ते पर से पुलिस थाना राजगढ के गश्तीदल ने अभियुक्त के स्वामित्व के वाहन कार नंबर आरजे 13 सी 4774 में से चैतन्य व अनन्य कब्जे से 3 कार्टूनों में लाजवाब सौंफी मसालेदार देशी शराब के कुल 140 पव्वे, मस्ताना मसालेदार देशी शराब के कुल 170 पव्वे, 4 कार्टूनों में फ्लाइंग फोक्स बीयर की कुल 46 बोतलें व 10 कार्टूनों में रसीला संतरा मसालेदार देशी शराब की कुल 115 बोतलें चण्डीगढ व हरियाणा राज्य में विक्रय योग्य बिना परमिट व लाईसेन्स के परिवहन करते हुए बरामद की जो किसी मनुष्य को अशक्तता या गंभीर उपहति या मृत्यु कारित करने के लिए संभावित थी। उक्त वाहन का प्रयोग अवैध रूप से शराब के परिवहन व प्रयोग में लेते हुए पकड़ा गया। यदि हाँ तो अभियुक्त की उपयुक्त सजा क्या होगी?''

11- उक्त अवधार्य बिन्दू के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्य का **ध्यानपूर्वक परिशीलन** करने से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित मुख्य गवाह जब्तीकर्ता अरविंद कुमार ने पी0ड0 12 के रूप में परीक्षित होकर सशपथ कथन किया है कि दिनांक 19.10.09 को वह पीएस राजगढ में एसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज समय 09.30 पीएम पर वह एफसी सत्तार खां, परसाराम, जीप सरकारी ड्राइवर सतवीर के साथ गश्त करने रवाना हुआ था। दौराने गश्त सुरतपुरा से मदाउ जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी शुरू की। समय 10.10 पीएम पर सुरतपुरा की तरफ से मारूति कार तेज गति से आयी जिसे रूकने का इशारा किया तो चालक वाहन को भगा कर ले गया। पीछा कर वाहन को रूकवाया तो चालक सुरेश कुमार मेघवाल निवासी वार्ड नंबर 28 राजगढ कार से उत्तरकर खेतों की तरफ भाग गया। कार को चैक किया तो कार मारूति 800 , जिसके पीछे आरजे 13 सी 4774 की नम्बर प्लेट लगी हुई थी। कार की पिछली सीट खोली हुई थी जहां शराब की पेटियां रखी हुई थी अवैध शराब को चैक किया तो तीन पेटी में कुल 140 पव्वा लाजवाब सौंफी देशी शराब चण्डीगढ में विक्रय की तथा 170 पव्वे मस्ताना मसालेदार देशी शराब हरियाणा विक्रय के मिले, चार पेटी में कुल 46 बोतल फलाइंग फोक्स बीयर चण्डीगढ विक्रय की तथा 10 पेटी में 115 बोतल रसीला सन्तरा मसालेदार देशी शराब चण्डीगढ विक्रय की मिली। शख्स सुरेश मेघवाल द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में हरियाणा व चण्डीगढ में विक्रय वाली शराब अपने कब्जे में रखना व परिवहन करना धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत अपराध होने पर समस्त शराब बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया गया। 140 पव्वे लाजवाब सौंफी पव्वा से एक पव्वा बतौर सैम्पल निकालकर सील मोहर कर मार्क ए अंकित किया शेष 139 पव्वों को मय कार्टूनों के एक प्लास्टिक के कट्टे में सील मोहर कर मार्क ए1 अंकित किया। मस्ताना मसालेदार देशी शराब 170 पव्वों में से एक पव्वा बतौर सैम्पल सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया। शेष 169 पव्वों को प्लास्टिक के कट्टे में सील मोहर कर मार्क बी 1 अंकित किया। फ्लाइंग फोक्स बीयर के दो कार्टूनों 24 बोतल तथा 2 कार्टून 22 बोतल मे से एक-एक बोतल बतौर नमूना सेम्पल सील मोहर कर मार्क कमशः सी व डी अंकित किया। शेष बीयर दो प्लास्टिक के कट्टों में सील्ड मोहर कर मार्क सी1 व डी1 अंकित किया। रसीला सन्तरा मसालेदार देशी शराब के तीन कार्टून कुल 36 बोतल, 3 कार्टून 36 बोतल दो कार्टून 24 बोतल तथा दो कार्टून

19 बोतल को चार प्लास्टिक कार्टूनों में डालकर प्रत्येक से एक-एक नमूना सेम्पल लिया जाकर सील मोहर कर मार्क कमशः ई, एफ, जी, एच अंकित किया। शेष शराब को कट्टों में सील मोहर कर कमशः मार्क ई1, एफ1, जी1, एच1 अंकित किया तथा मारूति कार आरजे 13 सी 4774 को बतौर बजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। मौका पर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 3 तैयार की जो उसकी खुद की कलमी है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं तथा ए से बी सत्तार खां के हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मौके की समूची कार्यवाही कर दिनांक 20.10.09 को 01.00 पीएम पर वे थाना पहुंच गए थे जहां एसएचओ भागलाराम को फर्द जब्ती मय वजह सबूत सील्ड पेश किया जिसके आधार पर एफआईआर प्रदर्श पी 11 दर्ज हुई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद उक्त प्रकरण का वजह सबूत सील्ड हालात में उसने मालखाना इंचार्ज को जमा कराया। मौका पर मुलजिम सुरेश अंधेरे का फायदा उठा कर भाग गया था जिसको वह पूर्व से जानता था जिसका नाम उसने प्रदर्श पी 3 में अंकित किया था। प्रदर्श पी 3 पर एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। मूल रोजनामचा तलबी बाबत रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 है। मौके पर जब्तीकर्ता पी0डी0 12 अरविंद कुमार द्वारा की गयी कार्यवाही को उसके साथ जाब्ते में मौजूद साक्षीगण पी0डी0 2 सतार खां, पी0डी0 9 परसाराम ने न्यायालय के समक्ष की है।

12- मालखाने के गवाह के तौर पर पी0डी0 5 रामकिशन सिंह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ कथन किया है कि उसे दिनांक 20.10.2006 को एसआइ अरविंद कुमार ने मुकदमा नं0 356/2009 का वजह सबूत एक प्लास्टिक का कट्टा सील्ड मार्क ए 1, एक प्लास्टिक कट्टा सील्ड मार्क बी1, एक प्लास्टिक कट्टा सील्ड मार्क सी1, डी1 तथा सील्ड पैकेट मार्क ई1, एफ1, जी1, एच1 तथा नमूना सेम्पल मार्क ए से एच सील्ड हालत में उसे संभलाया था जिसका इंद्राज उसने मालखाना रजिस्टर के क्र.सं. 437/09 पर कर वजह सबूत व नमूना सेम्पल सील्ड हालत में मालखाना में रख दिया था। मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी. 6 तथा इसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 6ए है। जब तक जब्तशुदा वजह सबूत उसके पास रहा सील्ड व सुरक्षित रहा। उक्त गवाह रामकिशन सिंह के बयानों की ताईद न्यायालय में वाहक के तौर पर गवाह पी0डी0 1 प्रताप सिंह ने करते हुए कथन किया है कि उसके द्वारा मुकदमा नंबर 356/2009 में जब्तशुदा वजह सबूत दिनांक 03.11.2009 को अग्रेषण पत्र जारी करवाने व सैंपल एफएसएल जोधपुर में जमा करवाने हेतु दिया गया, जिन्हें उसके

द्वारा एसपी कार्यालय चूरू से उसी रोज अग्रेषण पत्र जारी करवाकर दिनांक 04.11.2009 को एफएसएल जोधपुर पहुचंकर सील्डशुदा हालत में जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर ली थी। थाना पहुचंकर उक्त रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दी थी। अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 1 तथा एफएसएल प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 2 है। जब तक उसके पास वजह सबूत रहा, सुरक्षित व सील्ड हालत में रहा।

13- तत्पश्चात प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 10 भागलाराम ने दिनांक 20.10.2009 को पीएस राजगढ में थानाधिकारी के पद पर रहते हुए कथन किया है कि उस रोज अरविन्द कुमार एसआई ने एक फर्द बरामदगी अवैध देशी शराब बीयर मय मारूती कार आरजे 13 सी 4774 पेश की जो प्रदर्श पी. 3 है जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है जिसका अनुसंधान उसने शुरू किया था। इस फर्द के आधार पर एफआईआर नं. 356/09 दर्ज की थी जो प्रदर्श पी. 11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका प्रदर्श पी. 4 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है जिसका हालात गौका प्रदर्श पी. 4ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम सुरेश की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम सुरेश कुमार की फर्द इतला प्रदर्श पी. 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जिसका नक्शा प्रदर्श पी. 13ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम सुरेश की निशानदेही से घटना की तस्दीक कर घटना का नक्शामौका प्रदर्श पी. 14 उसके द्वारा मौतबीरान की मौजूदगी में तैयार किया गया। जिस पर ए से बी उसके, सी से डी मुलजिम सुरेश व ई से एफ लक्ष्मण के हस्ताक्षर है जो उसके समक्ष किये थे। उक्त घटना स्थल का हालात मौका प्रदर्श पी. 14ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम सुरेश ने उस आईओ को दिनांक 24.10.09 को स्वेच्छा से इतला दी जिसकी फर्द इतला प्रदर्श पी. 15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम की निशानदेही से नक्शामौका शराब के लाने बाबत तैयार किया गया जो प्रदर्श पी. 16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी लक्ष्मणसिंह मौतबीर, ई से एफ सुरेश के हस्ताक्षर हैं। हालात मौका प्रदर्श पी. 16ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। साक्षीगण अरविन्द कुमार, सत्तार खां, परसाराम, प्रतापसिंह, रामकिशन, सतपाल, सत्यवान, दलवीर, रमेश कुमार, छोटूराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। उक्त प्रकरण का जब्तशुदा नमूना सैम्पल कैरियर प्रतापसिंह द्वारा जमा कराया जाकर अग्रेषण पत्र की कार्बन प्रति प्रदर्श पी 1 व एफएसएल प्राप्ती रसीद

प्रदर्श पी. 2 हासिल कर शामिल पत्रावली की। आरजे 13 सी 4774 की डीएल प्रदर्श पी 10 तथा शपथ पत्र प्रदर्श पी 9 है तथा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 17 है वजह सबूत बाबत निस्तारण आदेश प्रदर्श पी. 18 है। रोजनामचा की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श पी. 19 है। ओमप्रकाश द्वारा दिए गए शपथ पत्र की प्रति नोटेरी से प्रमाणित प्रदर्श पी. 20 है। छोटूराम की नोटेरी से अटेस्टेड प्रदर्श पी. 21 है जो शामिल पत्रावली की। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी. 6ए है।

14- प्रकरण के अन्य अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 4 बृजमोहन अग्रवाल ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि दिनांक 20.03.2010 को वह पीएस राजगढ़ में एस.एच.ओ. के पद पर तैनात था। उस रोज मुन. 356/09 की पत्रावली श्री भागलाराम तत्कालीन थानाधिकारी से उसे चार्ज में प्राप्त हुई थी जिसका उसके द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया गया। मुलजिम सुरेश कुमार से पूछताछ कर उसको 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम सुरेश कुमार का जवाब है, ई से एफ सरेश कुमार के हस्ताक्षर है। गवाहान रमेश कुमार, छोटूराम के बयान उनके कहे अनुसार लिए थे। बाद अनुसंधान उसने मुलजिम सुरेश कुमार के विरुद्ध जुर्म धारा 19/54 (ख) 54 (ए) राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानकर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

15- अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये उपरोक्त समस्त गवाहान की न्यायालय के समक्ष दी गयी साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रदर्शित करवाये गये उपरोक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 19.10.2009 को वाहन संख्या आरजे 13 सी 4774 से बरामदशुदा वजह सबूत सैंपल मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी व एच में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी 17 से एथिल एल्कॉहोल होकर शराब होना पूर्णतया साबित है, परंतु अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि जिस वाहन आरजे 13 सी 4774 से भारी मात्रा में शराब बरामद करना बताया है, उक्त वाहन अभियुक्त सुरेश कुमार के मालिकाना हक का हो, क्योंकि अभियोजन कहानी के अनुसार यह तो स्वीकृत स्थिति है कि वक्त घटना दिनांक 19.10.2009 को समय करीब 10.10 पीएम पर जब सुरतपुरा की तरफ से वाहन सं. आरजे 13 सी 4774 को रूकने का ईशारा किया तो चालक वाहन को भगाकर ले गया और पीछा कर वाहन को रूकवाने पर चालक कार से उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके

से भाग गया। इस प्रकार वक्त घटना वाहन चालक को पुलिस अधिकारी द्वारा मौके पर से गिरफतार नहीं किया गया है। अभियुक्त सुरेश कुमार व प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी0ड0 4 श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा पी0ड0 10 भागलाराम ने दौराने अनुसंधान फर्द प्रदर्श पी 10 मूल आरसी वाहन सं0 आरजे 13 सी 4774, फर्द प्रदर्श पी 20 नोटेरी कागजात बेचान ओमप्रकाश द्वारा छोटूराम के पक्ष में, फर्द प्रदर्श पी 21 छोटूराम द्वारा जब्तशुदा वाहन के रमेश के पक्ष में बेचान, रमेश द्वारा अभियुक्त सुरेश के पक्ष में जरिये शपथ पत्र बेचान प्रदर्श पी 9 के आधार पर अभियुक्त सुरेश को नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्शपी 6 दिया जाकर उस पर जवाब प्राप्त कर अभियुक्त सुरेश कुमार को जप्तशुदा वाहन सं0 आरजे 13 सी 4774 का मालिक माना जाकर उसे हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के तौर पर संयोजित कर उसके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

16- अभियोजन पक्ष की ओर से छोटूराम को पी0ड0 11 के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाया गया है जो न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुआ है व न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में उसने बताया है कि वाहन सं0 आरजे 13 सी 4774 को उसने किसे बेचा, उसे पता नहीं। उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया है कि इकरारनामा प्रदर्श पी 21 में रमेश कुमार के हस्ताक्षर नहीं है। वहीं प्रदर्श पी 20 इकरारनामा में उसके स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है। अभियुक्त सुरेश कुमार के वाहन के मालिक होने के संबंध में जिन दस्तावेजात को कड़ी से कड़ी के तौर पर अभियोजन पक्ष की ओर से पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है, उनमें से दस्तावेज प्रदर्श पी 20 व 21 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दोनों ही दस्तावेजात तथाकथित शपथ पत्र की फोटो प्रति है, जिनमें से प्रदर्श पी 20 पर छोटूराम के व प्रदर्श पी 21 पर रमेश कुमार के हस्ताक्षर ही मौजूद नहीं है। इसी क्रम में आगे रमेश कुमार द्वारा जरिये शपथ पत्र प्रदर्श पी 9 उक्त वाहन को सुरेश कुमार को बेचान करना बताया है व उक्त शपथ पत्र के आधार पर ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त सुरेश को मालिक मानते हुए नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट दिया गया है, परंतु न्यायालय के मत में जप्तशुदा वाहन आरजे 13 सी 4774 के आरसी ओनर ओमप्रकाश द्वारा आगे छोटूराम को उक्त वाहन का विक्रय करना, छोटूराम द्वारा उक्त वाहन आगे रमेश को बेच देना व रमेश द्वारा वाहन को अंततः सुरेश को बेचा जाना अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। इस संबंध

में स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी0डी0 10 भागलाराम ने न्यायालय के समक्ष हुई जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 20 के संबंध में स्टांप वेंडर व नोटेरी से उसने पूछताछ नहीं की। प्रदर्श पी 20 असल दस्तावेज भी नहीं है। प्रदर्श पी 21 भी फोटो प्रति है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने यह माना है कि प्रदर्श पी 20 पर क्रेता छोटूराम व प्रदर्श पी 21 पर क्रेता रमेश के हस्ताक्षर नहीं है। यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रदर्श पी 9 के नोटेरी व स्टांप वेंडर से पूछताछ नहीं की गयी। प्रकरण के अन्य अनुसंधान अधिकारी पी0डी0 4 बृजमोहन अग्रवाल ने भी दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा बेचान के संबंध में नोटेरी व स्टांप वेंडर के बयान नहीं लिये गये। उसके द्वारा जो शपथ पत्र प्राप्त किये गये, वो रमेश या सुरेश से प्राप्त किये थे, उसे ध्यान नहीं। इस प्रकार प्रकरण के दोनों अनुसंधान अधिकारी के न्यायालय के समक्ष दिये गये कथन तथा उनके द्वारा दौराने अनुसंधान की गयी कार्यवाहियों से यह स्पष्ट है कि जप्तशुदा वाहन आरजे 13 सी 4774 के मालिकाना हक संबंधित समुचित साक्ष्य उनके द्वारा नहीं जुटाई गयी है। बिना समुचित साक्ष्य जुटाये न्यायालय के समक्ष यह संदेह से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि जप्तशुदा वाहन आरजे 13 सी 4774 वक्त घटना अभियुक्त सुरेश कुमार के मालिकाना हक का था।

17- यह सुस्थापित विधिक स्थिति है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होता है एवं यदि बचाव पक्ष मामले में कोई संदेह उत्पन्न करने में सफल होता है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के मामले को संदेह से परे साबित होना नहीं कहा जा सकता।

18- विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में जब्तशुदा वाहन के अभियुक्त सुरेश कुमार के आधिपत्य में होने के संबंध में जो विवेचन किया जाकर निर्णय दिनांकित 11.01.2018 पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि बचाव पक्ष अभियोजन के मामले पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करने में सफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं कहा जा सकता।

19- परिणामस्वरूप अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपीलार्थी के संबंध में पारित दोषसिद्धी का निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किया जाकर उसे धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- आदेश -

20- अतः अपीलार्थी सुरेश कुमार पुत्र प्रहलाद मेघवाल निवासी वार्ड नं0 28 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम विरूद्ध राजस्थान राज्य स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.01.2018 को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी/अभियुक्त सुरेश कुमार को आरोप धारा 19/54(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अपीलार्थी/अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। साथ ही अपीलार्थी/अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437(क) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 10-10 हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करवाये। इस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली नियमानुसार प्रेषित की जावे।

(सागर माथुर)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-2 राजगढ जिला चूरू

21- निर्णय आज दिनांक 23.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सागर माथुर)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-2 राजगढ जिला चूरू